

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, बक्सर के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से 04 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 03 श्रमिक के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 420000/- (चार लाख बीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक एवं पिता/पति का नाम, उम्र, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का थैरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० जलिल मियां, 54, श्री गफ्फार मियां, सामान्य	श्रीमती हसीना खातुन(पत्नी)	137/25.06.2019	ग्रा०-धनछपड़ा, पो०+धा०+प्र०-ब्रह्मपुर, बक्सर	70301700 042796	MBGB DROKULI, PUNB0MBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण में रोजा का कार्य
2	स्व० दरोगा सोनार, 57, श्री नन्दजी सोनार,, सामान्य	श्रीमती राजकुमारी देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-दुबौली, पो०-देवकुली, धा०+प्र०-ब्रह्मपुर, बक्सर	70300100 025840	MBGB DROKULI, PUNB0MBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, सोनार की दुकान में दैनिक मजदूर
3	स्व० राजेन्द्र प्रसाद, 59, श्री सिद्धनाथ प्रसाद, सामान्य	श्रीमती कुसमी देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-तेतरहर बिनटोली, पो०+धा०-सिकरौल, प्र०-नावानगर, बक्सर	34298263 637	SBI, SIKRAUL, SBIN0004889	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि एवं अन्य प्रतिष्ठानों में मजदूरी का कार्य
4	स्व० संजय यादव, 30, श्री नागेश्वर सिंह, सामान्य	श्रीमती सोनी देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-रजडिहॉ, पो०-कौंसियां, धा०+प्र०-डुमरौं, बक्सर	45631011 0003689	BOI, KASIA , BKID0004563	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर के साथ दूध बेचने का कार्य
5	स्व० धरमेन्द्र राम, 28, श्री लल्लन राम, अनु० जाति	श्रीमती सोमरिया देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०+धा०-राजपुर, प्र०-चौसा, बक्सर	30050017 00108232	PNB RAMPUR, PUNB0300500	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मिट्टी कटाई कार्य
6	स्व० अशोक कुमार सिंह, 39 श्री रामायण सिंह, सामान्य	श्रीमती पुष्पा देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-अशोक नगर, पो०-गजाधरगंज, धा०+प्र०+जि०-बक्सर	57881011 0004635	BOI Itarhi Road, BKID0005788	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राज भिस्त्री के साथ हेल्पर
7	स्व० योदा राम, 53, श्री शेषमुनी राम, अनु० जाति	श्रीमती चमेली देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-पिडियां, पो०-एकौनी, धा०+प्र०-डुमरौं, बक्सर	01520001 01969251	PNB Dumraon, PUNB0015200	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, रसोईया व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :-₹ 420000/-

(चार लाख बीस हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-14/2019 के पृष्ठ-09/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-14/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-14/2019-६६३


पटना, दिनांक :- 21-07-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 420000/- (चार लाख बीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित/आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


29/7/19
(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका


29/07/19
(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी


20/7/19
(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।